

08-01-18

अभिलेखन इपरनामित । प्रथम पत्र  
इपरनामित द्वितीय पत्र क्रमांक 02503  
अधीनस्थ क्रमांक 01 अधिवक्ता हाजरी  
इसत बाद में 6(क) भाग की जाति  
द्वारा ही इकी है अर्थात् बाद काल  
बाधित ही गया है। अतः बाद में  
अभिलेखन की कारवाही बन्द की जाती  
है।

१  
08/01/18